पीठासीन अधिकारी : श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

मुकदमा नम्बर :– 10/2023

(जी.सी.एम.एस.नम्बर 2023/70)

उनवानी प्रकरणः–

राशिद पुत्र यामीन जाति मुसलमान निवासी मकान न0–21 ग्राम तवली जिला मुजफ्फरनगर उ0प्र0 ------------------ प्रार्थी।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक लोक अभियोजक(प्रथम) ---------- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बावत वाहन सुपुर्दगी ट्रक/कन्टैनर नम्बर आर. जे. 05 जी. ए. 8385
(धारा 6(क)(3) व 7 राजस्थान गौवध निवारण अधिनियम) एफ.आई.आर. न0386/2022 थाना मंनिया

उपस्थिति : –

प्रार्थी की ओर से :– श्री महेश मुदगल एडवोकेट
अप्रार्थी की ओर से :– दिव्या कमठान सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)

निर्णय दिनांक 21.10.2024

प्रार्थी राशिद पुत्र यामीन जाति मुसलमान निवासी मकान न0–21 ग्राम तबली जिला मुजफ्फरनगर उ0प्र0 ने एक प्रार्थना पत्र थाना मंनिया में दर्ज एफ.आई.आर. नम्बर 386/2022 अन्तर्गत धारा 3,5,6,8 राजस्थान गौवंश अधिनियम 1995 में जब्तशुदा वाहन ट्रक/कन्टैनर नम्बर आर. जे. 05 जी. ए. 8385 को सुपुर्दगी में दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थी ट्रक/कन्टैनर नम्बर आर. जे. 05 जी. ए. 8385 का रजिस्टर्ड स्वामी एवं आधिपत्यधारी है जिसे अपनी सुपुर्दगी में लेना चाहता है। प्रार्थी के उक्त ट्रक/कन्टैनर को बिना किसी वजह थाना मंनिया ने जप्त कर रखा है उक्त ट्रक/कन्टैनर की पुलिस थाना मंनिया को कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी के उक्त ट्रक को ज्यादा समय तक पुलिस अभिरक्षा में रखा गया तो उसमें तकनीकी खराबी आने की सम्भावना है। प्रार्थी उक्त ट्रक को अपनी

सुपुर्दगी में लेना चाहता है। यदि माननीय न्यायालय सुपुर्दगार/वाहन स्वामी को वाहन अवमुक्त किये जाने के सम्बध शर्तो को अधिरोपित करती है तो वह अपने खर्चे र शर्तो का पालन करने को तैयार है इस बावत वह अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करने को तैयार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त शुदा ट्रक/कन्टैनर नम्बर आर. जे. 05 जी. ए. 8385 को प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिलाया जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना मंनिया से प्रकरण से सम्बधित केस डायरी तलब की गई एवं अप्रार्थी को तलव किया गया । अप्रार्थी की ओर से दिव्या कमठान, सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुए।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना के समर्थन में ट्रक का रजिस्ट्रेशन सार्टीफिकेट की छायाप्रति, बीमा की छायाप्रति, वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र की छायाप्रति, एवं प्रकरण में न्यायालय एमजेएम संख्या–2 धौलपुर में प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन 261/2022 दिनांक 23.11.2022 की प्रमाणित प्रति पेश की ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी के नाम से आर0डी0ट्रेडिंग ट्रांसपोर्टेशन कम्पनी के नाम से फर्म है जिसका वह प्रोपराईटर है और उसकी कम्पनी के वाहन इधर से उधर सामान का आयात–निर्यात हेतु किराये के भाडे पर भेजते रहते है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त वाहन को अपने विश्वासपात्र चालक मनोहर उर्फ मुनब्बर को किराये/भाडे पर दिया गया था। प्रार्थी/वाहन स्वामी की इच्छा व अनुमति की परवाह किये बिना उपरोक्त वाहन में गौवंश लाध लिये होगें जिसकी जानकारी प्रार्थी/वाहन स्वामी को कतई नहीं थी। वाहन चालक मुलजिम मनोहर उर्फ़ मुनब्बर पुत्र सादिन जाति मुसलमान निवासी गंगेरू थाना कांदला जिला सामली उ0प्र0 के विरूद्व न्याया0 एमजेएम संख्या–2 धौलपुर में चार्जशीट नम्बर 261/2022 दिनांक 23.11.2022 को प्रस्तुत की जा चुकी है। वाहन चालक मनोहर उर्फ मुनब्बर के उक्त कृत्य की जानकारी प्रार्थी को नहीं रही। प्रस्तुत चार्जशीट में मुलजिम के रूप में प्रार्थी का नाम नहीं है। प्रार्थी के उक्त जप्तशुदा ट्रक की पुलिस थाना मंनिया को अव कोई आवश्यकता नहीं है। वाहन को ज्यादा समय तक पुलिस अभिरक्षा में रखा गया तो उसमें तकनीकी खराबी आने की सम्भावना है। अतः प्रार्थी के जब्तशुदा वाहन ट्रक/कन्टैनर नम्बर आर. जे. 05 जी. ए. 8385 को प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिलाये जाने के आदेश दिये जावे ।

अप्रार्थी सहायक लोक अभियोजक ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी का वाहन ट्रक राजस्थान गोवंशीय पशु (वध प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम, 1995 कृत्य जुर्म धारा 3,5,6,8 की तारीफ में आना पाये जाने पर प्रार्थी के वाहन ट्रक/कन्टैनर नम्बर आर. जे. 05 जी. ए. 8385 को पुलिस थाना मंनिया द्वारा दिनांक 31.10.2022 को जब्त किया गया है। थानाधिकारी पुलिस थाना मंनिया के पत्र कमांक 3711 दिनांक 07.08.2023 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि उक्त जप्त शुदा वाहन ट्रक/कन्टैनर की बॉडी के अन्दर 31 नग जिन्दा 03 गाय 28 बैल हिंसक रूप से बुरी तरह भरे पाये गये। उक्त गौवंश कटटी के लिये ले जा रहे थे। उक्त गौवंश को लाने व ले जाने बावत लाईसेंस व परिमीशन संबधी कागजात नहीं पाये गये। इस हरकत से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त मुल्जिम अंतराज्यीय गौवंश तस्करी करता है। वाहन चालक मुलजिम मनोहर उर्फ मुनब्बर के विरूद्व न्याया0 एमजेएम संख्या–2 धौलपुर में चार्जशीट नम्बर 261/2022 दिनांक 23.11.2022 को को प्रस्तुत की जा चुकी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे एवं प्रकरण में जप्त शुदा वाहन ट्रक को राजसात किये जाने के आदेश दिये जावें।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी राशिद पुत्र यामीन जाति मुसलमान निवासी मकान न0–21 ग्राम तबली जिला मुजफ्फरनगर उ0प्र0 ने प्रार्थना पत्र थाना मंनिया में दर्ज एफ.आई. आर. नम्बर 386/2022 अन्तर्गत धारा 3,5,6,8 राजस्थान गौवंश अधिनियम 1995 में जब्तशुदा वाहन ट्रक/कन्टैनर नम्बर आर. जे. 05 जी. ए. 8385 को सुपुर्दगी में लिये जाने हेतु पेश किया है। चूँकि जब्तशुद वाहन राजस्थान गोवंशीय पशु (वध प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम, 1995 की धारा 6क के तहत जब्त किया गया है एवं वाहन के स्वामी राशिद के द्वारा प्रकरण में यह समाधान नहीं करवा पाये है कि उनके पास यह विश्वास करने का कोई भी कारण नहीं था कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किये जाने की संभावना है और उसने ऐसे किसी अपराध को किये जाने को निवारित किये जाने में सम्यक सावधानी वरती थी। थानाधिकारी पुलिस थाना मंनिया के द्वारा दिनांक 07.08.2023 प्रस्तुत रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि उक्त जप्त शुदा वाहन ट्रक/कन्टैनर की बॉडी के अन्दर 31 नग जिन्दा (03 गाय व 28 बैल) हिंसक रूप से बुरी तरह भरे पाये गये। उक्त गौवंश को लाने व ले जाने बावत लाईसेंस व परिमीशन संबधी कागजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं पाये गये इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त मुल्जिम अंतराज्यीय गौवंश तस्करी करता है। उक्त प्रकरण में थानाधिकारी थाना मंनिया द्वारा न्यायालय एमजेएम संख्या–2

धौलपुर में प्रकरण की अंतिम रिपोर्ट चालना संख्या 261/2022 दिनांक 23.11.2022 को मुल्जिम मनोहर उर्फ मुनब्बर पुत्र सादिन वाहन चालक के विरूद्व पेश की जा चुकी है। उक्त प्रकरण वर्तमान में एमजेएम संख्या–2 धौलपुर न्यायालय में विचाराधीन है। अतः प्रकरण के विचाराधीन रहते हुये जब्तशुदा वाहन का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि प्रार्थी राशिद पुत्र यामीन का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं । उक्त प्रकरण में थानाधिकारी थाना मंनिया द्वारा न्यायालय एमजेएम संख्या–2 धौलपुर में प्रकरण की अंतिम रिपोर्ट चालना संख्या 261/2022 दिनांक 23.11.2022 को मुल्जिम मनोहर उर्फ मुनब्बर पुत्र सादिन वाहन चालक के विरूद्व पेश की जा चुकी है। उक्त प्रकरण वर्तमान में एमजेएम संख्या–2 धौलपुर न्यायालय में विचाराधीन है। अतः प्रकरण के विचाराधीन रहते हुये जब्तशुदा वाहन का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(श्रीनिधि बी टी)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)